

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़-गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016—श्रावण 6, शक 1938

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-04/31/स्था./2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग (तृतीय श्रेणी) लिपिक वर्गीय/अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-दो के कॉलम (7) में, जहाँ कहीं भी शब्द “दो उप अभियंता” आये हों के स्थान पर, शब्द “दो अधीक्षण अभियंता” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. अनुसूची-चार के कॉलम (5) में, जहाँ कहीं भी शब्द “दो उप अभियंता” आये हों के स्थान पर, शब्द “दो अधीक्षण अभियंता” प्रतिस्थापित किया जाये.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकण्ठ टीकाम, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 1-04/31/स्था./2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-04/31/स्था./2014, दिनांक 26 जुलाई, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकण्ठ टीकाम, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2016

NOTIFICATION

No. F 1-04/31/est./2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Water Resources Department (Class-III) Ministerial/Non-ministerial Service Recruitment Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In columns (7) of Schedule-II, for the words “Two Sub Engineer”, wherever they occur, the words “Two Superintending Engineer” shall be substituted.
2. In columns (5) of Schedule-IV, for the words “Two Sub Engineer”, wherever they occur, the words “Two Superintending Engineer” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELKANTH TIKAM, Deputy Secretary.